प्रेस नोट **21/03/2024**

<u>वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 05 मोटरसाईकिल एवं 03 अवैध तमंचा व कारतूस बरामद, 05 शातिर गिरफ्तार–</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 20.03.2024 को रात्रि देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर सिकटिया पुलिया के पास से 05 षातिरों क्रमषः शिवानन्द यादव पुत्र राजाराम यादव, षनि सिंह पुत्र पुष्पराज सिंह, विजय प्रताप सिंह उर्फ भोलू पुत्र स्व0 शेषनाथ सिंह निवासी अलीनगर थाना सरायलखन्सी, शिवम सिंह पुत्र मिथिलेश सिंह सा0 बरौली थाना भीमपुरा जनपद बलिया व प्रदीप राजभर पुत्र टुनटुन राजभर सा0 इन्दारा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 05 मोटरसाईकिल व 03 अवैध तमंचा व 03 कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 088/2024 धारा–411/413/414/420/467/468/471 एवं आयुद्ध अधिनियम के अर्न्तगत अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारषुदा अभियुक्तगण–

1. शिवानन्द यादव पुत्र राजाराम यादव सा0 अलीनगर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
2. शिवम् सिंह पुत्र मिथिलेश सिंह सा0 बरौली थाना भीमपुरा जनपद बलिया (हाल पता मकान रोहित सिंह निवासी महुआर थाना कोपागंज जनपद मऊ)
3. प्रदीप राजभर पुत्र टुनटुन राजभर सा0 इन्दारा थाना कोपागंज जनपद मऊ।
4. षनि सिंह पुत्र पुष्पराज सिंह सा0 अलीनगर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।
5. विजय प्रताप सिंह उर्फ भोलू पुत्र स्व0 शेषनाथ सिंह सा0 अलीनगर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

फरार अभियुक्त–

1. लखन्दर खरवार पुत्र महेन्द्र खरवार निवासी इटौरा थाना हलधरपुर जनपद मऊ।
2. निक्की मौर्य पुत्र शेरु मौर्या निवासी अलीनगर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. चोरी की 05 मोटरसाईकिल (बुलेट, एचएफ डिलक्स, सूपर स्प्लेंडर, 02 स्प्लेंडर)।
2. 03 अवैध तमंचा व 03 कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–

नि0 अनिल कुमार सिंह, प्रभारी थाना कोतवाली, उ0नि0 नथुनी सिंह, हे0का0 धर्मेन्द्र सिंह, हे0का0 विनय कुशवाहा, हे0का0 विनय कुशवाहा, का0 सुभाष चन्द, का0 शत्रुधन गौड़, का0 मनीष कुमार राय थाना कोतवाली मऊ।

तमन्चा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-
आज दिनांक 21.03.2024 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर छोटी बकवल के पास से अभियुक्त हिमाशुं सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह निवासी परदहॉ थाना कोतवाली नगर के कब्जे से एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया इस संबंध मे उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 83/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

आगामी त्योहारों एवं लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के दृष्टिगत आज दिनांक 21.03. 2024 को निरीक्षण किये जाने के क्रम में श्री पीयूष मोर्डिया, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी, जोन वाराणसी द्वारा श्री अखिलेश कुमार, पुलिस महानिरीक्षक आजमगढ़ व श्री इलमारन जी, पुलिस अधीक्षक मऊ के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय मऊ का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा कार्यालय के विभिन्न षाखाओं तथा परिसर में भ्रमण कर परिसर की साफ सफाई व रख–रखाव आदि का गहनतापूर्वक निरीक्षण किया तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 03 दोषसिद्ध अभियुक्त को 03-03 वर्ष की सश्रम कारावास व ₹3,000-3,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-
पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 21-03-2024 को, मु0अ0सं0 231/05 धारा 504,323,325, भादवि व धारा 3(1)द एससी/एसटी एक्ट थाना चिरैयाकोट में दोषसिद्ध अभियुक्तगण चन्द्रभान यादव पुत्र मारकण्डेय यादव, सुभाष यादव पुत्र चन्द्रभान यादव, संजय यादव पुत्र चन्द्रभान यादव निवासीगण रसुलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं ₹3,000-3,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार का0 सुधीर कुमार थाना चिरैयाकोट का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 02 दोषसिद्ध अभियुक्त को 03-03 वर्ष की सश्रम कारावास व ₹3,000-3,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 21-03-2024 को, मु0अ0सं0 422/05 धारा 147,323,148,504,506,325,452 भादवि थाना चिरैयाकोट में दोषसिद्ध अभियुक्तगण दुधनाथ पुत्र हंसराज, बृजेश राय पुत्र दुर्जन निवासीगण हाफिजपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एवं ₹3,000-3,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी सुधीर कुमार थाना चिरैयाकोट का सराहनीय योगदान रहा।